भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

 स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

 तारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 102

 उत्‍तर देने की तारीख: 09.03.2017

**रोजगारपरक स्कूली शिक्षा**

\*102. श्रीमती छाया वर्माः

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि स्कूली शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के लिए उठाए गए कदम अपर्याप्त हैं और स्कूली शिक्षा से जुड़े संगठन स्कूली शिक्षा को रोजगारपरक एवं गुणवत्तायुक्त बनाने की आवश्यकता पर बल देते रहे हैं;

(ख) क्या मंत्रालय ने बच्चों में पढ़ाई को बीच में छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु स्कूली शिक्षा को रोजगारपरक बनाए जाने और प्राथमिक स्तरपर शिक्षा को गुणवत्तायुक्त बनाए जाने के संबंध में कोई अध्ययन कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

 **(श्री प्रकाश जावडेकर)**

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**\*\*\*\*\***

**“रोजगारपरक स्कूली शिक्षा’’ के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्रीमती छाया वर्मा द्वारा दिनांक 09.03.2017 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 102 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण**

(क): स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग स्‍कूली शिक्षा को रोजगारपरक और गुणवत्‍तायुक्‍त बनाने के लिए अनेक कदम उठा रहा है। यह विभाग अर्थव्‍यवस्‍था और वैश्विक बाजार के विभिन्‍न सेक्‍टर के लिए शिक्षित, नियोजनीय और प्रतिभाशाली युवा तैयार करने के लक्ष्‍य से राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) की केन्‍द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत माध्‍यमिक तथा उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा के व्‍यावसायीकरण घटक का कार्यान्‍वयन कर रहा है। इसमें शिक्षित और नियोजनीय के बीच अंतर पाटने, माध्‍यमिक स्‍तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ देने की दर कम करने और अकादमिक उच्‍चतर शिक्षा पर दबाव कम करने की भी परिकल्‍पना की गई है। इस योजना में कक्षा IX से कक्षा XII से सामान्‍य शिक्षा विषयों के साथ-साथ खुदरा, ऑटोमोबाइल, कृषि, दूरसंचार, स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल, सौंदर्य तथा स्‍वास्‍थ्‍य, आईटी-आईटीज, इलेक्‍ट्रानिक, सुरक्षा, मीडिया तथा मनोरंजन आदि क्षेत्रों में रोजगारपरक व्‍यावसायिक विषयों का आरंभ करना शामिल है।

 राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीटीवी) से संबद्ध उद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) छात्रों को शैक्षिक समानता प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्वायत्त संगठन-राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) और महानिदेशक प्रशिक्षण, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के बीच 15 जुलाई, 2016 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। एमओयू में उन आईटीआई छात्रों/उत्तीर्णों, जिन्होंने कक्षा 8वीं और 10वीं के बाद 2 वर्षीय आईटीआई पाठ्यक्रम की पढ़ाई की है, को क्रमशः माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाण-पत्र प्रदान करने का प्रावधान है।

 माध्‍यमिक स्‍तर पर विद्यार्थियों को गुणवत्‍तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए आरएमएसए के तहत विभिन्‍न हस्‍तक्षेपों को वित्‍तपोषित किया जाता है। इनमें निम्‍न के लिए प्रावधान शामिल है: (i) छात्र-शिक्षक अनुपात सुधारने के लिए अतिरिक्‍त शिक्षक, (ii) नेतृत्‍व प्रशिक्षण सहित शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए समावेशन और सेवाकालीन प्रशिक्षण, (iii) गणित और विज्ञान किट, (iv) स्‍कूल में आईसीटी सुविधाएं, (v) प्रयोगशाला उपकरण, (vi) अधिगम संवर्धन के लिए विशेष शिक्षण।

 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत राज्‍य सरकारों और संघ राज्‍यक्षेत्र प्रशासन को शिक्षण मानक सुधारने के लिए अनेक हस्‍तक्षेपों पर सहायता प्रदान की जाती है जिनमें नियमित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण, नए भर्ती हुए शिक्षकों के लिए प्रवेश प्रशिक्षण, छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार करने के लिए अतिरिक्‍त शिक्षकों की भर्ती, ब्‍लॉक और क्‍लस्‍टर संसाधन केंद्रों के माध्‍यम से शिक्षकों हेतु शैक्षणिक सहायता, छात्र के प्रदर्शन को मापने के लिए शिक्षक को सतत और व्‍यापक मूल्‍यांकन प्रणाली से लैस करना और जहां आवश्‍यक हो, उचित शिक्षण-अधिगम सामग्री आदि के विकास के लिए उपचारात्‍मक कार्रवाई करना और शिक्षक एवं स्‍कूल अनुदान मुहैया कराना शामिल है। नि:शुल्‍क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में शिक्षकों के सांविधिक कर्तव्‍य और उत्‍तरदायित्‍व निर्धारित हैं और प्रारंभिक स्‍कूलों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता के लिए व्‍यक्ति की न्‍यूनतम अर्हताओं का निर्धारण किया गया है। एसएसए के तहत सरकारी/स्‍थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्‍त स्‍कूलों में सभी बच्‍चों को पाठ्यपुस्‍तकें मुहैया कराई जाती हैं जिनमें प्राथमिक स्‍तर पर 150 रूपए प्रति बच्‍चा और उच्‍च प्राथमिक स्‍तर पर 250 रूपए प्रति बच्‍चे की अधिकतम सीमा के भीतर राज्‍य पाठ्यचर्या आरंभ करने के इच्‍छुक मदरसा शामिल हैं। एसएसए मानकों में वंचित समुदाय के बच्‍चों अर्थात् सभी बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल बालकों को 400 रूपए प्रति बच्‍चे की दर से वर्दी के दो सेट प्रदान करने की भी व्‍यवस्‍था है। यह कक्षा । और ।। में 'पढ़े भारत बढ़े भारत' (पीबीबीबी) नामक एक उप-कार्यक्रम के माध्‍यम से प्रारंभिक ग्रेड, लेखन एवं बोधगम्‍यता और प्रारंभिक गणित कार्यक्रम के लिए राज्‍यों और संघ राज्‍यक्षेत्र को भी सहायता प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्‍त, सरकार ने अन्‍य के साथ-साथ कक्षा में और कक्षा के बाहर कार्यकलापों के माध्‍यम से प्रेक्षण, परीक्षण, अनुमानी चित्रकारी, मॉडल बनाने आदि के जरिए विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी में 6-18 आयु वर्ग के बच्‍चों को प्रोत्‍साहित करने और उन्‍हें शामिल करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान और राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान के उप-घटक के रूप में 09.07.2015 को राष्‍ट्रीय अविष्‍कार अभियान (आरएए) कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

राष्‍ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्‍वविद्यालय (न्‍यूपा) द्वारा स्‍कूल शिक्षा की गुणवत्‍ता में सुधार करने के लिए 'शाला सिद्धि' नामक स्‍कूल मानक और मूल्‍यांकन रूपरेखा विकसित की गई है जिससे स्‍कूल अपने प्रदर्शन का अधिक फोकस एवं कार्यनीतिक तरीके से मूल्यांकन कर सकें और उन्‍हें सुधार के लिए व्‍यावसायिक निर्णय लेने में सुविधा हो सके।

(ख) और (ग): इस विभाग द्वारा स्‍कूली शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के लिए कोई अध्‍ययन नहीं कराया गया है। तथापि, शिक्षा की गुणवत्‍ता सुधारने के लिए, राष्‍ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ग्रेड III, V, VIII और X में बच्‍चों की अधिगम उपलब्धि के आवधिक राष्‍ट्रीय सर्वेक्षण आयोजित करता है। अभी तक ग्रेड V के लिए राष्‍ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) के चार दौर और कक्षा III और VIII के लिए तीन दौर आयोजित किए जा चुके हैं। ये सर्वेक्षण प्रथम दौर से चौथे दौर के पहचाने गए विषयों में छात्रों के अधिगम उपलब्धि स्‍तरों में सुधार दर्शाते हैं। चालू वर्ष से, सरकार ने वार्षिक राष्‍ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित करने का निर्णय लिया है जिनमें सभी सरकारी और सरकारी सहायताप्राप्‍त स्‍कूलों के कक्षा 1-8 के सभी छात्र शामिल हैं। विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्‍यांकन प्रारंभिक चक्र में सभी कक्षाओं को कवर करते हुए सभी विषयों के लिए एनसीईआरटी द्वारा विकसित अधिगम परिणामों के अनुसार होगा।

**\*\*\*\*\***